

## प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

### अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या : UPFS/2023/84050/AZM/AZAMGARH/891/CFO  
दिनांक : 27-05-2023

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL** पता 297,TEHBERPUR TO **SARDAHA,AZAMGARH** तहसील - **NIZAMABAD** प्लॉट एरिया **8100 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **1720** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
EDUCATIONAL	1	0	3.5 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक **29-05-2023** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **ALKA YADAV** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **30-05-2023** से **29-05-2026** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशामन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशामन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **LITTLE FLOWER CHILDREN SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

**"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, तस्वीरों के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"**

**Note :** प्रत्येक माह फायर mock drill , स्टाफ की फायर ट्रेनिंग एवं फायर उपकरणों का रखरखाव तथा documentation मानकों के अनुसार करना आवश्यक होगा। अग्निशामन विभाग के निरीक्षण के समय सभी अभिलेखों को निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। भवन का अधिभोग अथवा दायरगत परिवर्तन करने से पहले अनुमति लेना आवश्यक होगा। उक्त शर्तों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी / प्रबंधक की होगी अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र को स्वतः निरस्त समझा जाये।



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

**VIVEK KUMAR SHARMA**

D77643FABD379413E979A38FD5B58C2A26192BD7

30-05-2023

निर्गत किये जाने का दिनांक : **30-05-2023**  
स्थान : **AZAMGARH**

Note: Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service

**अमिका यादव**  
Manager

Little Flower Children School  
Tahbarpur, Azamgarh

**Anushka Yadav**  
Principal  
Little Flower Children School  
Tahbarpur, Azamgarh